रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3—उप खण्ड (i)
PART II—Section—3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 510] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2000/आश्विन 7, 1922
No. 510] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2000/ASVINA 7, 1922

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 760 (अ).— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 85(अ), तारीख 3 फरवरी, 2000 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 3 फरवरी, 2000 में, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 4 फरवरी, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से, प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (सातवां संशोधन) नियम, 2[illegible] है ।

(2) ये 29-3-2001 को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, --

(i) नियम 42 के उपनियम (ययय) में, खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"(14) पेय जल के प्रत्येक पैकेज पर स्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा लगी होगी जिसमें प्रत्येक अक्षर का वही आकार होगा जो नियम 36 में विहित है :

पैकेजबंद, पेय जल

(ii) नियम 49 में, उपनियम (27) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(28) कोई भी व्यक्ति, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के अधीन के सिवाय पैकेज बंद पेय जल का विनिर्माण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा;

§ii§ परिशिष्ट "ख" में मद क 32 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

क 33 पैकेज बंद पेय जल §खनिज जल से भिन्न § :

"पैकेजबंद जल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जो पेयजल के किसी स्त्रोत से प्राप्त किया गया है, जिसके निस्तारण, निष्यंदन, निष्यंदन का संयोजन वातन, झिल्लीदार निष्यंदक के साथ निष्यंद, गहन निष्यंदक, कार्ट्रिज निष्यंदक, सक्रीयित कार्बन निष्यदन, विखनिजीकरण, पुनः खनिजीकरण, प्रतीप परासरण जैसे कोई उपचार किए गए है और पैक किया गया है। वह उस स्तर तक विसंक्रमणित किया जा सकेगा जिससे पेयजल में हानिकर संदूषणन हो । वह रासायनिक अभिक्रमकों और/या अनेक सूक्ष्म जीवाणओं की भौतिक पद्धति के द्वारा उस स्तर तक विसंक्रमणित किया जा सकेगा जिससे खाद्य सुरक्षा या उपयुक्तता बनी रहे ।

यह भा० मा० : 10146 के अनुरूप पालिएथिलीन §पी.ई.§ या भा०मा० 10151 के अनुरूप पालीविनायल क्लोराइड §पी.वी.सी.§ या भा०मा० 12252 के अनुरूप पालीएल्काईलीन टैरीफ्थालेट §पी.ई.टी. और पी.वी.टी.§ या भा०मा० 10910 के अनुरूप पालीप्रोपाएलीन या खाद्य ग्रेड पोलीकार्बोनिट से बनाई गई स्वच्छ, जीवाणुरहित, रंगहीन पारदर्शी और गड़बड़ न की जा सकने वाली बोतलों/आधानों में या जीवाणु रहित ऐसी कांच की बोतलों में, जो जल के संभावित अपमिश्रण या संदूषण का निवारण करने के लिए उपयुक्त हों, पैक किया जाएगा ।

प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियां, अपने लिए उत्पादों के सुसंगत भारतीय मानकों में यथाविहित संपूर्ण प्रवास और रंजक प्रवास सीमा को पास करेगा । यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	लक्षण	अपेक्षाएं
§1§	§2§	§3§
§1§	रंग	2 हैजन इकाई से अधिक नहीं ट्रू कलर इकाई
§2§	गंध	रूचिकार
§3§	स्वाद	रूचिकार

1	2	3
(4)	आविलता	2 आविलता मिताई इकाई (एनटीयू) से अधिक नहीं
(5)	सम्पूर्ण विलीन ठोस	500 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(6)	पी एच	6.5 – 8.5
(7)	नाइट्रेट्स (एन ओ$_3$ के रूप में)	45 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(8)	नाइट्राइट्स(एन ओ$_2$ के रूप में)	0.02 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(9)	सल्फाईड (एच$_2$एस के रूप में)	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(10)	खनिज तेल	0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(11)	फिनोलिक यौगिक (सी$_6$एच$_5$ओ एच के रूप में)	0.001 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(12)	मैंगनीज (एम एन के रूप में)	0.1 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(13)	ताँबा (सी यू के रूप में)	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं ।
(14)	जिंक (जेड एन के रूप में)	5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(15)	फ्लुओराइड (एफ के रूप में)	1.0 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं ।
(16)	बेरियम (बी ए के रूप में]	1.0 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(17)	ऐंटीमोनी (एस बी के रूप में)	0.005 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(18)	निकल (एन आई के रूप में)	0.02 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(19)	बोरेट (बी के रूप में)	5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(20)	पृष्ठ सक्रिय कारक (एम बी ए एस के रूप में)	0.2 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(21)	सिल्वर (ए जी के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(22)	क्लोराइड (सी एल के रूप में)	200 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(23)	सल्फेट (एस ओ$_4$ के रूप में)	200 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(24)	मैगनीशियम (एम जी के रूप में)	30 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(25)	कैल्शियम (सी ए के रूप में)	75 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(26)	सोडियम (एन ए के रूप में)	200 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(27)	क्षारता (एच सी ओ$_3$ के रूप में)	200 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(28)	आर्सैनिक (ए एस के रूप में)	0.05 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(29)	कैडमियम (सी डी के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं

1	2	3
(30)	साइनाइड (सी एन के रूप में)	0.05 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(31)	क्रोमियम (सी आर के रूप में)	0.05 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(32)	मरक्यूरी (एच जी के रूप में)	0.001 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(33)	सीसा (पी बी के रूप में)	0.01 मि.ग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(34)	सेलैनियम (एस.ई के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(35)	लौहा (एफ ई के रूप में)	0.1 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं
(36)	पालीन्यूक्लीयर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स	अनभिज्ञेय
(37)	पॉलिक्लोरिनेटिड बाईफिनाइल (पी सी बी)	अनभिज्ञेय
(38)	एल्युमीनियम (ए एल के रूप में)	0.03 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं ।
(39)	अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन	0.2 मिली ग्राम / लिटर से अधिक नहीं
(40)	पेस्टीसाइड अवशिष्ट	अभिज्ञेय सीमाओं से कम
(41)	अल्फा सक्रियता	0.1 बेक्यूरल/लीटर (बी क्यू) से अधिक नहीं
(42)	"बीटा" सक्रियता	1 पीको क्यूरी / लीटर (पी सीआई) से अधिक नहीं
(43)	यीस्ट और फफूंदी गणन (1 × 250 मि.ली.)	अविद्यमान
(44)	साल्मोनेलिया और शिगेला (1 × 250 मि.ली.)	अविद्यमान
(45)	ई. कोली या ताप सहनशील बैक्टीरिया, (1 × 250 मिली/लीटर)	अविद्यमान
(45)	कोलीफार्म्स बैक्टीरिया (1 × 250 मिली लीटर)	अविद्यमान

1.	2.	3.
(47)	मल स्ट्रेप्टोकोकी और स्टाफाइलोकोक्स आरियस 1 × 250 मि.ली.	अविद्यमान
(48)	सूडोमोनस एरगिनोसा 1 × 250 मिली लीटर	अविद्यमान
(49)	सल्फाइट अवायवीय अपचायक 1 × 50 मिली लीटर	अविद्यमान
(50)	वाइब्रियो कोलरा और वी. पाराहैमोलाइटिक्स 1 × 250 मिली लीटर	अविद्यमान
(51)	एरोबिक माइक्रोबियल गणक	कुल जीवनक्षम कालोनी गणना ऐगार-ऐगार पर या ऐगार-जिलेटिन मिश्रण पर 72 घंटे में 20° से. से 22° से. पर प्रति मिलीलीटर 100 से और ऐगार-ऐगार पर 24 घंटे में 37° से. पर प्रति मिलीलीटर 20 से अधिक नहीं होगी ।

<u>लेबल लगाने का प्रतिषेध</u>

मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के गुण धर्म की बाबत औषधीय (निरोधक, उपशामक या आरोग्यकारी) प्रभाव का दावा नहीं किया जाएगा । उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य हितप्रद प्रभाव के दावे नहीं किए जाएंगे ।

जब तक कि व्यापार नाम में विनिर्दिष्ट स्थान का, जहां से पैकेजबंद जल का संग्रहण किया गया है, नाम न हो, परिक्षेत्र, पुरवा या विनिर्दिष्ट स्थान को व्यापार नाम के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा ।

जनता के मन में भ्रम उत्पन्न करने वाले किसी कथन या किसी सचित्र आकृति के उपयोग का या अन्य किसी प्रकार से विक्रय के लिए रखे गए ऐसे जल

की प्रकृति,उद्‌भव, सम्मिश्रण और गुण धर्म के बारे में जनता में भ्रम उत्पन्न करने का प्रतिषेध किया जाता है ।

[फा. सं. पी-15014/6/97-पीएच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता,संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में का.नि.आ. 2105 तारीख 12-9-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 716 (अ) तारीख 13-9-2000 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi the 29th September, 2000

G.S.R. 760 (E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number G.S.R. 85 (E) dated the 3rd February, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i); dated the 3rd February, 2000 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days form the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 4th February, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :-

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (76th Amendment) Rules, 2000.

   (2) They shall come into force on 29-3-2001

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,-

   (iv) in rule 42, in sub-rule (zzz), after clause (13), the following clause shall be inserted, namely:-

   "(14) Every package of drinking water shall carry the following declaration in capital letters having the size of each letter as prescribed in rule 36 ;

PACKAGED DRINKING WATER

(ii) in rule 49, after sub-rule (27), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(28) No person shall manufacture, sell or exhibit for sale packaged drinking water except under the Bureau of Indian Standards Certification Mark";

(iii) in Appendix 'B' after item A.32, the following item shall be inserted, namely:-

A.33 **Packaged drinking water (other than Mineral water):-**

"Packaged drinking water" means water derived from any source of potable water which is subjected to treatments, namely, decantation, filteration, combination of filteration, aerations, filteration with membrane filter, depth filter, cartridge filter, activated carbon filteration, demineralisation, remineralisation reverse osmosis and packed. It may be disinfected to a level that will not lead to harmful contamination in the drinking water. It may be disinfected by means of chemical agents and/or physical method of the number of micro-organism to a level that does not compromise food safety or suitability.

It shall be packed in clean, sterile, colourless, transparent and tamperproof bottles/containers made of polyethylene (PE) conforming to IS:10146 or polyvinyl chloride (PVC) conforming to IS : 10151 or polyalkylene terephthalate (PET and PBT) conforming to IS : 12252 or polypropylene conforming to IS:10910 or foodgrade polycarbonate or sterile glass bottles. suitable for preventing possible adulteration or contamination of the water.

All packaging materials of plastic origin shall pass the overall migration and colour migration limits as laid down in the relevant Indian Standards for products for respective packaging materials.

It shall conform to the following standards namely :-

Sl. No.	Characteristics	Requirements
(1)	(2)	(3)
(1)	Colour	not more than 2 Hazen Units/ True Colour Units
(2)	Odour	Agreeable
(3)	Taste	Agreeable
(4)	Turbidity	Not more than 2 nephelometric turbidity unit (NTU)
(5)	Total Dissolved Solids	Not more than 500 mg/litre

(1)	(2)	(3)
(6)	PH	6.5 – 8.5
(7)	Nitrates (as NO_3)	Not more than 45 mg/litre
(8)	Nitrites (as NO_2)	Not more than 0.02 mg/litre
(9)	Sulphide (as H_2S)	Not more than 0.05 mg/litre
(10)	Mineral oil	Not more than 0.01 mg/litre
(11)	Phenolic compounds (as C_6H_5OH)	Not more than 0.001 mg/litre
(12)	Manganese (as Mn)	Not more than 0.1 mg/litre
(13)	Copper (as Cu)	Not more than 0.05 mg/litre
(14)	Zinc (as Zn)	Not more than 5 mg/litre
(15)	Fluoride (as F)	Not more than 1.0 mg/litre
(16)	Barium (as Ba)	Not more than 1.0 mg/litre
(17)	Antimony (as Sb)	Not more than 0.005 mg/litre
(18)	Nickel (as Ni)	Not more than 0.02 mg/litre
(19)	Borate (as B)	Not more than 5 mg/litre
(20)	Anionic surface active agents (as MBAS)	Not more than 0.2 mg/litre
(21)	Silver (as Ag)	Not more than 0.01 mg/litre
(22)	Chlorides (as Cl)	Not more than 200 mg/litre
(23)	Sulphate (as SO_4)	Not more than 200 mg/litre
(24)	Magnesium (as Mg)	Not more than 30 mg/litre
(25)	Calcium (as Ca)	Not more than 75 mg/litre
(26)	Sodium (as Na)	Not more than 200 mg/litre
(27)	Alkalinity (as HCO_3)	Not more than 200 mg/litre
(28)	Arsenic (as As)	Not more than 0.05 mg/litre
(29)	Cadmium (as Cd)	Not more than 0.01 mg/litre
(30)	Cyanide (as CN)	Not more than 0.05 mg/litre
(31)	Chromium (as Cr)	Not more than 0.05 mg/litre
(32)	Mercury (as Hg)	Not more than 0.001 mg/litre
(33)	Lead (as Pb)	Not more than 0.01 mg/litre
(34)	Selenium (as Se)	Not more than 0.01 mg/litre
(35)	Iron (as Fe)	Not more than 0.1 mg/litre
(36)	Poly nuclear aromatic hydrocarbons	Not detectable
(37)	Polychlorinated biphenyle (PCB)	Not detectable
(38)	Aluminium (as Al)	Not more than 0.03 mg/litre
(39)	Residual free chlorine	Not more than 0.2 mg/litre
(40)	Pesticide Residues	below detectable limits
(41)	"Alpha" activity	Not more than 0.1 Bacquerel/litre (Bq)
(42)	"Beta" activity	Not more than 1 pico curie/litre (pCi)
(43)	Yeast and mould counts 1 x 250 ml	Absent

(1)	(2)	(3)
(44)	Salmonella and Shigella 1 x 250 ml	Absent
(45)	E.Coli or thermotolerant bacteria 1 x 250 ml	Absent
(46)	Coliforma bacteria 1 x 250 ml	Absent
(47)	Faecal streptococci and Staphylococus aureus 1 x 250 ml	Absent
(48)	Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml	Absent
(49)	Sulphite-reducing anaerobes 1 x 50 ml	Absent
(50)	Vibrio cholera and V. parahaemolyticus 1 x 250 ml	Absent
(51)	Aerobic Microbial Count	The total viable colony count shall not exceed 100 per ml at 20°C to 22°C in 72 h on agar – agar or on agar – gelatin mixture, and 20 per ml at 37°C in 24 h on agar-agar.

Labelling Prohibitions

No claims concerning medicinal (preventative, alleviative or curative) effects shall be made in respect of the properties of the product covered by the standard. Claims of other beneficial effects related to the health of the consumer shall not be made.

The name of the locality, hamlet or specified place may not form part of the trade name unless it refers to a packaged water collected at the place designated by that trade name.

The use of any statement or of any pictorial device which may create confusion in the mind of the public or in any way mislead the public about the nature, origin, composition, and properties of such waters put on sale is prohibited.

[No. P-15014/6/97-P.H. (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy

Foot Note:—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide SRO 2105 dated the 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. 716 (E) dated 13-9-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Filename: GSR No-760 (E)29th September 2000
Directory: \\Ncrc-1\C\NOTIFICATIONS\WTO
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Mr.A.K. Srivastava
Keywords:
Comments:
Creation Date: 23/07/2002 15:46
Change Number: 8
Last Saved On: 23/07/2002 16:41
Last Saved By: Mr.A.K. Srivastava
Total Editing Time: 20 Minutes
Last Printed On: 24/07/2002 16:07
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 11
Number of Words: 4 (approx.)
Number of Characters: 26 (approx.)